संख्या- 95/2016/2916/33-3-2016-320/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2016

विषयः- भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या-D.O. No.-A-11013/16/2016-Estt. दिनांक 18.11.2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 26 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जायेगा, का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-94/2016/2907/33-3-2016-320/2016 दिनांक 24.11.2016 को टंकण त्रुटि के कारण निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूपण समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में अमूल्य सेवाएं प्रदान करने को दृष्टिगत राष्ट्र आधुनिक भारत के निर्माण में डा0 भीमराव अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करते हुए नागरिकों के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

अत: उपर्युक्त वर्णित स्थिति में दिनांक 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों तथा स्कूल कालेज के छात्र छात्राओं को सम्मिलित करते हुए जागरूकता अभियान आयोजित किया जाय तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.11.2016 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित निम्न गतिविधियां सम्पादित करायी जाये:-

1- भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद- 51 ए भाग-4-ए) का वाचन।
2- प्रतिकृति (दिखावटी) संसद का प्रारम्भ।
3- भारतीय संविधान पर निबन्ध/ वाद-विवाद प्रतियोगिता और भाषण।

अत: अनुरोध है कि डा0 भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में दिनांक 26.11.2016 को संविधान दिवस के रूप में मनाये जाने के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना सीधे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, को दिनांक 07.12.2016 तक भेजते हुए उसकी एक अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

<u>संख्या व दिनांकः- तदैव।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त सचिव,पंचायतीराज मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या- D.O. No.-A-11013/16/2016-Estt दिनांक 18.11.2016 के सन्दर्भ में।

2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।

7- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

http://Shasnadeshup.nic.in